

न्यायालय सिविल जज (जू० डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट नं०-14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या-95/2000

CNR No. UPBB180000172000

शाह नैय्यर अहमद आदि

बनाम

तिलक राम आदि

**13.02.2024**

पत्रावली पेश हुई।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र क-139 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि लिखा-पढ़ी व टाईपिंग की त्रुटि से प्रार्थी के वादपत्र में कुछ तथ्य दर्ज होने से रह गये हैं, जिनका दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर वादपत्र में संशोधन चाहा गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से हर्जे हेतु आपत्ति की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती। प्रतिवादीगण को भी कोई तात्विक हानि नहीं है। प्रतिवादीगण की हानि की पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थना पत्र क-139 मु० 100/- रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अदायगी उपरान्त संशोधन अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21.02.2024 को पेश हो।

**(सोनम शर्मा)**

सिविल जज (जू० डि०), रामसनेहीघाट  
न्यायालय संख्या-14, बाराबंकी।